भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
BEECHWAL, BIKANER (RAJASTHAN) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

F.No.07(ii)04/CS/FPA/14/ 9674 Dated :16.11.2015
SPEED-POST

श्री आदित्य चौहाण,
डी-4, मुरलीधर व्यास नगर,
बीकानेर ।

विषय : संस्थान के प्रक्षेत्र के आंवला जनन द्रव्य एवं आंवला आधारित खेती प्रणाली के कुल 55 फल वृक्षों के फलों की खुली नीलामी - बाबत ।

संदर्भ : नीलामी दिनांक : 03.11.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि उपरोक्त नीलामी हेतु आपके द्वारा लगाई गई अधिकतम बोली रु.9,100/- (रुपये नौ हजार एक सौ मात्र) को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा आप द्वारा बोली की पूर्ण राशि जमा करवा दी गई है (क्रमश: रु.500/- टी.आर.-5 सं.48 दि:03.11.2015 + रु.9100/- टी.आर.-5 सं.49 दि:03.11.2015 अनुसार) । अत: आप संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क करते हुए उपरोक्त वृक्षों के फलों की तुडाई का कार्य तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित शर्तों पर आरम्भ करें :-

1. आंवला वृक्ष, जिनके फलों की नीलामी की जानी है, को प्रक्षेत्र के बगीचे में चिन्हित किया गया है । इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से सम्पर्क किया जा सकता है ।
2. आप को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुडाई के दौरान आंवला वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे । आंवला बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा । यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई आपको करनी होगी ।
3. इस पत्र मिलने के पश्चात आंवला फलों के तुडाई का कार्यादेश जारी होने के दो माह में पूर्ण कर लेना होगा । तत्पश्चात आपका कोई हक आंवला फलों पर नही रहेगा । इस अवधि में आंवला फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपका ही होगा ।
4. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी आप की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।
5. फलों की तुडाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रात: 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा । रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में फलों की तुडाई नही होगी । प्रत्येक पौधे से प्राप्त फलों का वजन लेने के पश्चात ही आपको फल दिये जायेगें । संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को फलों के तुडाई के लिये नही लगाना होगा । अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा । तोडे गये फलों को संस्थान के बाहर ले जाने के लिये अनुमति पत्र (गेट पास) लेना अनिवार्य है ।
6. जहॉ भी आवश्यक हो वहॉ संस्थान के अनुसंधान कार्यो के लिये आंवला प्रखण्ड में से प्रत्येक किस्म के 500 ग्राम आंवला फल आप द्वारा संस्थान को निशुल्क उपलब्ध कराने होंगे ।
7. फलों की तुडाई, भण्डारण रख-रखाव इनके परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा ।
8. किसी भी प्राकृतिक आपदा (पाला, वर्षा, आंधी-तुफान, पशुओं एवं पक्षीयों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी ।

9. तुडाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जानेवाले श्रमिकों को मजदुरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तर दायी नही होगा ।

10. नीलामी हेतु जमा करवायी गई बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुड़ाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा । इस हेतु आपको संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

भवदीय,

(पी.पी.पारीक)
प्र.सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी फार्म
2. फार्म मैनेजर
3. वित्त एवं लेखा अधिकारी
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी
5. प्रभारी सुरक्षा
6. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक)
7. प्रभारी, ए.के.एम.यु. केशुबासं, बीकानेर - संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु ।

16/10/15
प्र.सहायक प्रशासनिक अधिकारी